<u> न्यायालय – कमलेश इटावदिया, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैत्ल(म.प्र.)</u>

दांडिक प्रकरण कमांक : 2293/2010

अपराध कमांक - 253/2010

संस्थापन दिनांक : 26-10-2010

मध्य प्रदेश शासन,

द्वारा आरक्षी केन्द्र – सारणी, जिला बैतूल, म.प्र.

- अभियोजन

<u>बनाम</u>

- 01. जितेन्द्र पिता माखन इवने , निवासी— जामुनडोल गैस एजेंसी, जिला—बैतूल — फरार
- 02. रमेश पिता नंदलाल धुर्वे, उम्र – 27 साल, निवासी– भोगईखापा थाना चोपना, जिला–बैतूल म.प्र.।

– अभियुक्तगण।

।। निर्णय ।।

(आज दिनांक : 25-09-2017 को घोषित किया गया)

- 01} आरोपी रमेश धुर्वे के विरूद्ध धारा 324 <u>भा0द0िव0</u> सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी ने घटना दिनांक 16-07-10 को समय रात्रि 00:00 बजे, थाना सारणी क्षेत्रांतर्गत कालीमाई स्थित रेल्वे गेट के पास अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी चंदू को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, सामान्य आशय के अग्रशरण में उसको धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की, जिसे वह या सहअभियुक्त संभाव्य कारित होना जानता था।
- 02} प्रकरण में अविवादित तथ्य यह है कि फरियादी चंदू कसारे असा 3 आरोपी को पहचानता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण, स्वीकृत व अविवादित तथ्यों का अभाव है।

- अभियोजन कहानी का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी चंदू 03} कसारे ने चौकी पाथाखेड़ा में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराया कि घटना दिनांक 16-07-10 को वह रेल्वे लाईन के पास स्थित उसकी पान की दुकान पर बैठा था। तभी रात करीब 09:00 बजे उसके पानटेले पर आरोपीगण आए और उससे सिगरेट मांगने लगे। फरियादी चंदू ने उनसे पैसे मांगे तो आरोपीगण ने उसके साथ गाली गलौच कर हाथ मुक्को से मारपीट की। उक्त घटना की फरियादी द्वारा पुलिस चौकी पाथाखेड़ा में दर्ज कराई जाकर असल कायमी हेतु थाना सारणी द्वारा की गई थी जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 253/10 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, आहत चंदू कसारे का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण से संबंधित अन्य आवश्यक विवेचना उपरान्त अभियोग-पत्र पेश किया गया।
- 04} आरोपीा रमेश के विरूद्ध धारा <u>324 सहपठित धारा 34 भा0द0वि0</u> के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर आरोपी को सुनाये जाने पर आरोपी ने उक्त धारा के अंतर्गत अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।
- प्रकरण मे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रकरण से संबंधित सह 05} अभियुक्त जितेन्द्र फरार होने के कारण यह निर्णय आरोपी रमेश के संबंध मे पारित किया जा रहा है।

विचारणीय प्रश्न:-06}

क्या आरोपी रमेश ने घटना दिनांक 16-07-10 को समय रात्रि 00:00 बजे, थाना सारणी क्षेत्रांतर्गत कालीमाई स्थित रेल्वे गेट के पास अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी चंदू को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित, सामान्य आशय के अग्रशरण में उसको धारदार वस्तु से मारपीट कर/उसे दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की, जिसे वह संभाव्य कारित होना जानता था?

:- निष्कर्ष के कारण व आधार :-

- 07} फरियादी चंदू कसारे असा 3 ने अपने परीक्षण मे कहा कि घटना लगभग 10 वर्ष पहले काली माई रेल्वे कवाटर के पास पाथाखेड़ा सारणी की है। वह घ ाटना दिनांक को अपने पानठेले मे बैठा था उस समय आरोपी जितेन्द्र ने उससे सिगरेट मांग, जो सिगरेट जितेन्द्र मांग रहा था वह उसके पास नही थी। इस बात पर से आरोपी जितेन्द्र ने उसको हाथ मुक्को से मारपीट कर पीठ दांत से काट लिया तथा सहअभियुक्त ने उसको पान ठेले से खींचा था। उसने पुलिस चौकी पाथाखेड़ा मे रिपोर्ट लेख कराई थी।
- 08]. रिपोर्ट प्रपी 1 में लेख है कि घटना दिनांक को फरियादी उसकी पान की दुकान पर बैठा था तभी आरोपी वहां आया और सिगरेट मागने लगा। फरियादी ने पैसे मांगे तो आरोपी ने गाली गलौच कर हाथ मुक्को से मारपीट की। परंतु असा 3 चंदू ने अपने परीक्षण के दौरान आरोपी रमेश द्वारा उसको धारदार वस्तु से मारपीट करना या दांत से काटना नहीं कहा, तथा कहा घटना दिनांक को उसका आरोपी के साथ मारपीट हो गई थीं। अर्थात चंदू कसारे असा 3 ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। परिणाम स्वरूप एडीपीओ ने साक्षी चंदू कसारे को पक्ष विरोधी घोषित करवाकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने कहा कि उसे याद नहीं है कि घटना के समय आरोपी रमेश ने उसकी उंगली में काटकर चोट पहुंचाई थी। परंतु बचाव पक्ष की ओर से किए प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने कहा कि आरोपी रमेश ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की अर्थात इस साक्षी चंदू से आरोपी रमेश के विरूद्ध कथन नहीं दिए हैं।
- 09} असा 1 विनोद एवं असा 2 दिलीप पवार ने अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है एवं उनके सामने कोई घटना नहीं हुई। अर्थात असा 1 विनोद एवं असा 2 दिलीप पवार ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया, परिणाम स्वरूप एडीपीओ ने उक्त दोनो साक्षीगणों को पक्षविरोधी घोषित करवाकर उक्त साक्षीगणों से अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछ जाने पर भी उक्त साक्षीगाणों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया तथा असा 1 विनोद एवं असा 2

दिलीप पवार ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी रमेश ने उसको हाथ मुक्को से मारपीट कर उसके दाहिने हाथ की छोटी अंगुली मे दांत से काट लिया था।

- उक्तानुसार अभियोजन साक्ष्य के दौरान आरोपी द्वारा फरियादी चंदू के 10} साथ धारदार वस्तु से मारपीट करना या दांत से काटने के सबंध में साक्ष्य का अभाव है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी के आपराधिक दायित्व को निर्धारित नही किया जा सकता।
- 11} उपरोक्त साक्ष्य विवेचना अनुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय प्रश्न कमांक 1 को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अर्थात अभियोजन पक्ष आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 324 सहपठित धारा 34 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने मे असफल रहा है।

अतः आरोपी **रमेश <u>पिता नंदलाल धुर्वे</u>**को धारा <u>324 सहपठित</u> धारा 34 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- प्रकरण मे जप्तशुदा संपत्ति कुछ नही। 12}
- आरोपी के जमानत मुचलके दप्रसं की धारा-437ए के अंतर्गत छः माह की अवधि तक के लिए स्थिर रखे जाते है, उसके पश्चात भारमुक्त समझे जावे।
- प्रकरण से संबंधित सहआरोपी जितेन्द्र फरार है, उसके संबंध मे प्रकरण के मुख्य पष्ट पर नोट अंकित किया जावे कि आरोपी जितेन्द्र फरार है। प्रकरण सुरक्षित रखा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(कमलेश इटावदिया) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैतूल

(कमलेश इटावदिया) मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बैतूल